## झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी सिमडेगा।

विज्ञापन संख्या- 01/2025

सिमडेगा जिला में नव नामंकन के लिए विज्ञापन ।

1. सिगडेगा जिला में गृह रक्षकों के नवनामांकन के लिए रिक्तियों के विरूद्ध सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाई आवेदन अमंत्रित किये जाते है। ग्रामीण मृह रक्षक तथा शहरी

गृह रक्षक के लिए आवेदन विहित प्रपत्र में अलग-अलग जमा करेंगे। नोट:- गृह रक्षा वाहिनी एक स्वंयसेवी संगठन है तथा गृह रक्षक उसके स्वयसेवी सदस्य होते है। जितने दिन आवश्यकता अनुसार उन्हे कर्ताव्य पर प्रतिनियुक्त किया जाता है, उतने ही कार्य दिवस के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दर पर भत्ता भुगतान देय होता है। "यह कोई वैतनिक सरकारी नौकरी या आजिवीका का माध्यम नही है"।

अतः उन्ही उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है। जो राष्ट्र के सेवा निःस्वार्थ भाव से काम

करने के लिए तत्पर हो।

2. गृह रक्षक के रूप में नव नामांकन के लिए उपलब्ध रिक्ति निम्नवत् है, यह औपबंधित संख्या है, जिसे बिना पूर्व सूचना के संशोधित/घटाया/बढ़ाया जा सकता है।

(क) ग्रागीण गृह रक्षकों के लिए रिक्ति :-

जिला समादेष्टा कार्यालय, झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी,						
सिमडेगा।						
		स्वीकृत प्रभावी रिक्ति		वेत	कुल रिक्ति	
क्र0	प्रखण्ड का नाग	बल	बल	पुरुष	महिला	रिक्ति
1	सिमडेगा	110	75	17	17	34
	कोलेबिरा	110	83	13	13	26
2		110	93	8	8	16
3	बानो	110	90	09	10	19
4	जलडेगा			5	5	10
5	ठेठईटांगर	110	99			
6	बोलबा	110	68	20	21	41
7	कुरडेग	110	74	17	18	35
8	केरसई	110	26	41	42	83
-	पाकरटांड	110	7	51	51	102
9		110	8	50	51	101
10	बाँसजोर			-		467
कुल:- 1100 623 231 236			407			

(ख) शहरी गृह रक्षकों के लिए रिक्ति :-

(ख) शहरी गृह रक्षको क जिला समादेष्टा क	तर्यालय आरखण	ड गृह र	क्षा वाहि	हेनी, सि	मडेगा।
क्र0 प्रखण्ड का नाम	स्वीकृत बल	प्रमावी बल	रि	वेत्त	कुल रिक्ति
क्र0 अखण्ड का नान		901	पुरुष	महिला	
1 सदर शहरी	43	_	22	21	43
1 digit tie ti		1, 10-		० ग्रियात	पद महिलाओं

उपरोक्त दोनो कोटियों (ग्रामीण / शहरी गृह रक्षक) के लिए नामांकन 50 प्रतिशत पद महिलाओं

के लिए कर्णाकित होंगे।

महिलाओं के लिए कर्णांकित पदो में 5 प्रतिशत पद अर्हता प्राप्त तलाकशुदा/ परित्यक्ता / विघवा महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। तलाकशुदा / परित्यक्ता / विघवा अम्यार्थी के उपलब्ध नही रहने के स्थिति में उक्त 5 प्रतिशत पद पुनः महिलाओं के लिए कर्णांकित प्रतिशत में समाहित हो जायगा।

शहरी गृह रक्षकों के लिए रिक्ति में 50 प्रतिशत पद तकनिकी दक्ष उम्मीदवारों के लिए होगा। योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने पर गैर- तकनिकि/तकनिकि दक्ष की रिक्ति एक-दूसरे से भरी जाएगी।

3. अर्हता :--

(क) आवासीय :--

- (i) ग्रामीण गृह रक्षकः— अभ्यर्थी को सिमडेगा जिला के उस प्रखण्ड का स्थायी निवासी होना चाहिए। जहाँ से ग्रामीण गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए ऑनलाईन आवेदन करेंगे। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत ऑनलाईन आवासीय प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति आवेदन में अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
- (ii) शहरी गृह रक्षक:— अभ्यर्थी को सिमडेगा जिला के सदर शहरी क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत ऑनलाईन आवासीय प्रमाण पत्र की रव-अभिप्रमाणित छाया प्रति आवेदन में अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
- (ख) उम्र सीमा:-01/01/2025 को 19 से 40 वर्ष। (जन्म तिथि दिनांक- 01/01/1985 से 31/12/2005

(सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति ऑनलाईन आवेदन में अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे)

नोट:- जन्म तिथि हेतु मान्य कागजात:-

(i) जन्म प्रमाण पत्र यदि है तो।

(54

- (ii) मैट्रिक एवं उच्च स्तर पास आवेदकों को जन्म तिथि हेतु मैट्रिक पास सर्टिफिकेट संलग्न करना अनिवार्य है। सातवीं पास आवेदकों को जन्म तिथि हेतु विद्यालयों का स्थानांतरण प्रमाण पत्रों एवं अन्य सरकारी कागजात, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो (यथा निर्वाचन कार्ड/ड्राईविंग लाइसेंस/पैन कार्ड/जन्म प्रमाण-पत्र/पासपोर्ट आदि) प्रमाण-पत्र ऑनलाईन आवेदन में अपलोड करना अनिवार्य करेंगे।
- (ग) शैक्षणिक योग्यता :--
  - (i) ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम 7 (सतवी) पास एवं उच्चतर संबंधित।
- (ii) शहरी गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम 10 (दसवीं) पास एवं उच्चतर संबंधित। (सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत शैक्षणिक प्रमाण–पत्र की स्व—अभिप्रमाणित छायाप्रति ऑनलाईन आवेदन में अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे)

(घ) शारीरिक मापदं :- ( ग्रामीण / शहरी गृह रक्षके दोनों के लिए मान्य )

- (i) लम्बाई:- पुरूष- 162 से०मी० (सामान्य /ओ०बी०सी०/बी०सी०) 157 से०मी० (अ०ज०जा०/अ०जा०) महिला - 148 से० मी० (समी के लिए)
- (ii) सीना:— पुरूष— 79 से०मी० (सामान्य /ओ०बी०सी०/बी०सी०) 76 से०मी० (अ०ज०जा०/अ०जा०)

(शारीरिक माप में छूट के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की रव—अभिप्रमाणित छाया प्रति ऑनलाईन आवेदन में अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।)

(ड) तकनिकी दक्षता (सिर्फ तकनिकी दक्ष शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए) :— अभ्यर्थियों को विभिन्न तकनिकी क्षेत्रों में दक्ष होना चाहिए तथा उससे संबंधित किसी कार्यालय में कार्यरत/स्वनियोजित तथा तकनिकी जानकार होना चाहिए। इन जानकारों को सामान्य रूप से तकनिकी योग्य माना जायगा:—

चिकित्सक अभियंता, अधिवक्ता, प्रधानाध्यापक, नर्स, कम्प्यूटर ऑपरेटर, टंकन, लाईसेंस धारी चालक (एच०एम०भी०/एल०एम०भी०) रसोईया, बढ़ाई, मोची, घोबी, नाई, बिजली मिस्त्री, माली, पलाग्बर आदि।

(सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तकनिकी दक्षता प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति ऑनलाईन आवेदन में अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे)

- 4. चयन प्रक्रिया :- गृह विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची की अधिसूचना संख्या-5442 दिनांक- 20.10.2014 के आलोक में चयन समिति द्वारा निर्घारित चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत निम्नलिखित जाँच परीक्षा ली जायेगी :-
  - (क) शारीरिक जाँच परीक्षा :- इसके अन्तर्गत 01 मील की दौड़, ऊँची कूद, लम्बी कूद, शॉट पूट सम्मिलित होगा, जिसमें अंक निम्नवत प्रदान किया जायेगा।

## (i) ग्रामीण गृह रक्षक तथा गैर—तकनिकी शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए :--

	जाँच	पुरूष	महिला '
दौर	ड़ (01 मील)	5 मिनट या पहले— 20 अंक 5 मिनट से 6 मिनट तक—10 अंक 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले	8 मिनट या पहले— 20 अंक 8 मिनट से 10 मिनट तक— 10 अंक, 10 मिनट से अधिक समय
	ऊँची कूद	अयोग्य माने जायेगें।         (क) न्यूनतम ४ फीट       — 5 अंक         (ख) 4'—4'3"       — 6 अंक         (ग) 4'3"— 4'6"       — 7 अंक         (घ) 4'6"—4'9"       — 8 अंक         (इ) 4'9'—5'       — 9 अंक         (च) 5' से अधिक       — 10 अंक	लेने वाले अयोग्य माने जायेगें। (क) न्यूनतम ३ फीट — 5 अंक (ख) 3'—3'3" — 6 अंक (ग) 3'3"— 3'6" — 7 अंक (घ) 3'6"—3'9" — 8 अंक (ड़) 3'9"—4' — 9 अंक (च) 4' से अधिक — 10 अंक
	लम्बी कूद	(क) न्यूनतम 12 फीट — 5 अंक (ख) 12' — 13' — 6 अंक (ग) 13' — 14' — 7 अंक (घ) 14' — 15' — 8 अंक (इ) 15' — 16 — 9 अंक (च) 16 से अधिक — 10 अंक	(क) न्यूनतम 09 फीट — 5 अंक (ख) 09' — 10' — 6 अंक (ग) 10' — 11' — 7 अंक (घ) 11' — 12' — 8 अंक (ङ) 12' — 13 — 9 अंक (च) 13 से अधिक — 10 अंक
	शॉट पूट	16 पौण्ड — न्यूनतम 16 फीट	10 पौण्ड — न्यूनतम 10 फीट

## (ii) शहरी तकनिकी दक्ष गृह रक्षक अम्यर्थियों के लिए :--

जाँच	पुरूष	महिला
दौड़ (01 मील)	6 मिनट या पहले— 20 अंक 6 मिनट से 8 मिनट तक—10 अंक 8 मिनट से अधिक समय लेने वाले अयोग्य माने जायेगें।	8 मिनट या पहले— 20 अंक 8 मिनट से 12 मिनट तक— 10 अंक, 12 मिनट से अधिक समय लेने वाले अयोग्य माने जायेगें।
ऊँची कूद	(क) 3.5' फीट न्यूनतम — 5 अंक । (ख) 4' और अधिक — 10 अंक	
लम्बी कूद	(क) 9' फीट न्यूनतम — 5 अंक (ख) 10' और अधिक — 10 अंक	(क) 06 फीट न्यूनतम — 5 अंक (ख) 07 फीट और अधिक —10 अंक ( (च) 13 से अधिक — 10 अंक
शॉट पूट	16 पौण्ड — 12 फीट न्यूनतम	10 पौण्ड - 08 फीट न्यूनतम

्व) हिन्दी लेखन— क्षमता परीक्षा :— शारीरिक जाँच परीक्षा में सफल अम्यर्थी को हिन्दी लेखन क्षमता की परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा, जिसमे ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए 7वीं कक्षा तथा शहरी गृह रक्षकों के लिए 10वीं कक्षा के स्तर के अनुसार लेखन क्षमता की जाँच की जायेगी। यह क्वालिफाईंग होगा पूर्णाक 100 एवं उत्तीर्णाक 30 होगा।

(ग) तकनिकी दक्षता परीक्षा (सिर्फ शहरी तकनिकी दक्ष गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए) :— शारीरिक जाँच परीक्षा एवं हिन्दी लेखन क्षमता परीक्षा में सफल अभ्यर्थी की तकनिकी दक्षता परीक्षा ली जायेगी, जो क्वालिफाईंग

होगा, पूर्णांक 100 एवं उत्तीर्णांक 30 होगा।

(घ) सभी जाँच परीक्षा की समाप्ति के बाद उपर्युक्त अधिसूचना में दिये गये प्रावधान के आधार पर मेघा सूची तैयार की जायेगी, जिसके आलोक में रिक्ति के विरूद्ध चयन किया जायेगा। चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सीय जाँच तथा पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन कराने के पश्चात् उसे अनुकूल पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थियों को मुख्यालय, झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, राँची के आदेशोपरांत गृह रक्षक बुनियादी प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक करने पर उन्हें गृह रक्षक के रूप में नामांकन कर प्रावधान अनुसार नामांकन प्रमाण—पत्र निर्गत किया जायेगा।

5. अभ्यर्थी जो राष्ट्र/राज्य स्तरीय खेलकूद में पुरस्कृत हुए हैं, उन्हे निम्नवत अतिरिक्त अंक प्रदान किया जायेगा। (सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत पुरस्कार प्रमाण–पत्र की स्व— अभिप्रमाणित छायाप्रति ऑनलाईन आवेदन में अपलोड करना सुनिश्चित करेगें।

राष्ट्रीय	राज्य स्तरीय
06 अंक	०३ अंक
04 अंक	02 अंक
02 अंक	01 अंक
	06 अंक 04 अंक

6. शहरी गृह रक्षक के रूप में सरकारी सेवकों को शहरी गृह रक्षक के पूर्ण रिक्तियों के 10 प्रतिशत नामांकित करने की सीमा निर्धारण है। इसके लिए सरकारी सेवक अपने कार्यालय प्रधान द्वारा निर्गत अनापित प्रमाण—पत्र की स्व—अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेगें। सरकारी सेवकों को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर निम्नवत अंक दिये जायेंगे:—

स्नातकोत्तर – 10 अंक

स्नातक- 08 अंक

इण्टरमिडिएट- 06 अंक

मैट्रिक - 04 अंक

7. आवेदन कैसे जमा करें:— आवेदक केवल JAP IT RANCHI पर उपलब्ध कराये गये Link के माध्यम से दिनांक— 24/10/2025 से दिनांक— 07/11/2025 तक अपना आवेदन Online समर्पित कर पायेंगे। किसी भी स्थिति में आवेदक के द्वारा OFFLINE / BYPOST कार्यालय में आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदन शुल्क की राशि

200 / – (दो सौ रूपये) मात्र उक्त वेबसाईट पर उपलब्ध Payment link/ID के माध्यम से ही भुगतान करना अनिवार्य होगा।

ऑनलाईन आवेदन में आवेदक के द्वारा फोटो एवं हस्ताक्षर भी अपलोड करना अनिवार्य होगा।

9. एक आवेदक से एक ही आवेदन पत्र स्वीकार्य होगा। एक से अधिक आवेदन पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी का आवेदन स्वतः रदद् समझा जायेगा।

10.अर्हता के अनुरूप आवेदक से ऑनलाईन आवेदन में माँगी गई सभी विवरणी को पूर्ण रूपेण

भरा जाना अनिवार्य है।

11. आवेदक जिला के किसी भी प्रज्ञा केन्द्र से ऑनलाइन आवेदन समर्पित कर सकते है। आवेदक आवेदन भरने में किसी प्रकार की कठिनाई होने की स्थिति में प्रखण्ड कार्यालय रिथत हेल्पडेस्क तथा रामाहरणालय, सिमडेगा स्थित हेल्प डेस्क से सम्पर्क स्थापित कर सकते है।( हेल्पडेरक सम्पर्क संख्या– 7542861851,समय 10 बजे से 5 बजे तक कार्य दिवस पर )

12. आवेदक द्वारा आधार कार्ड /मतदाता पहचान पत्र/ड्राईविंग लाईसेंस/ पैन कार्ड/ जन्म प्रमाण पत्र/गैद्रिक रार्टिफिकेट/पारापोर्ट में से किसी एक विवरण स्व–अभिप्रमाणित छाया

प्रति ऑनलाईन आवेदन में अपलोड करना अनिर्वाय है।

13.जोंच परीक्षा की तिथि, स्थान एवं अन्य जरूरी जानकारी की सूचना बाद में दैनिक समाचार पत्र/जिला के अधिकारिक वेबसाईट— https://Simdega.nic.in के माध्यम से दी जायेगी। 14.अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन भरे गये गलत सूचना पर संबंधित अभ्यर्थी के आवेदन को स्वतः

रदद् समझा जायेगा साथ ही उक्त आवेदक के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

15.प्रस्तावित नव-नागांकन प्रक्रिया पूर्ण होने तक, माननीय उच्च न्यायालय, राँची का निर्गत न्यायदेश एवं अनुकम्पा के आधार पर गुख्यालय, राँची भेजे गये प्रस्ताव पर आवेदक को गृह रक्षक के रूप में रिवित घट/बढ़ सकती है तथा नियुक्त प्रक्रिया उक्त के अनुरूप पूर्ण की

16.झारखण्ड रारकार गृह विभाग की अधिसूचना 5442/दिनांक 20/10/2014 झारखण्ड गृह रक्षक (स्वयं रोवक) नियमावली 2014, झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय राँची का झापाँक 750 दिनांक 29/04/2016 एवं स्थायी आदेश संख्या-05/2023 सहपठित ज्ञापंक 268/OTD दिनांक 15/02/2023 के द्वारा निर्गत आदेश के अनुरूप गृह रक्षकों के

नव-नागांकन की सारी प्रकिया की जाएगी।